पत्रांक–04/वि०–16–20/2019–544/
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर० के० महाजन,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी विश्वविद्यालय के कुलपति
सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 13/03/2020

विषय:– **कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के संबंध में।**
प्रसंग– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3736 दिनांक 13.03.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र में निहित निर्णय/निदेश के आलोक में निम्नांकित आदेश दिया जाता है :–

1. बिहार राज्य के सभी सरकारी, गैर–सरकारी, (प्राईवेट) विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थान 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे। परन्तु शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी अपने संस्थान में कार्य पर उपस्थित रहेंगे।
2. सभी प्रकार के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय (सरकारी एवं प्राईवेट) तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक बंद रखे जायेंगे। परन्तु शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी अपने संस्थान में कार्य पर उपस्थित रहेंगे। इस दौरान शिक्षण संस्थानों में सभी प्रकार की सामूहिक गतिविधियों यथा खेल–कूद के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
3. सभी कोचिंग संस्थान 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे।
4. इस दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में आयोजित सभी प्रकार की परीक्षाएँ **(केन्द्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को छोड़कर)** यथा संभव स्थगित रहेंगी।
5. जिन विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था तत्काल स्थगित रहेगी परन्तु मध्याह्न भोजन की राशि की गणना कर समतुल्य राशि संबंधित छात्र/अभिभावक के खाते में दिनांक 31.03.2020 के पहले जमा करा दी जायेगी।
6. दिनांक– 22–23–24 मार्च 2020 को निर्धारित बिहार दिवस 2020 का राज्य मुख्यालय एवं जिलों में आयोजन तत्काल स्थगित किया जाता है। बिहार दिवस के आयोजन के लिए अगली तिथि का निर्धारण बाद में किया जायेगा।

7. जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से सभी सरकारी एवं गैर सरकारी, प्राईवेट शिक्षण संस्थानों/कोचिंग संस्थानों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

विश्वासभाजन

13/3/20

(आर० के० महाजन)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–04/वि०–16–20/2019–444 पटना, दिनांक–13/03/2020

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/20
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–04/वि०–16–20/2019–444 पटना, दिनांक–13/03/2020

प्रतिलिपिः– बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/20
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–04/वि०–16–20/2019–444 पटना, दिनांक–13/03/2020

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वे अपने स्तर से भी सभी विश्वविद्यालयों को समुचित आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे।

13/3/20
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–04/वि०–16–20/2019–444 पटना, दिनांक–13/03/2020

प्रतिलिपिः– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/विशेष सचिव/अपर सचिव तथा सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/20
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–04/वि०–16–20/2019–444 पटना, दिनांक–13/03/2020

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/20
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : एसी / आर० / 2659 दिनांक : 13.03.2020

प्रतिलिपि : (1) सभी संकायाध्यक्ष, प० वि०, (02) सभी विभागाध्यक्ष , प० वि०, (3) सभी प्राचार्या, प० वि०, तथा (4) सभी निदेशक, प० वि० से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त पत्र में निहित निर्णय / निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

कुलपति के आदेश से

13/3/2020
कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय पटना

SINGH

Mob No –